EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

The idea of a Media Council to oversee the TV, Digital and Print is an interesting proposition and will have a unified command for all the key stakeholders in the media space. The Press Council of India proposal to the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) for establishing a Media Council that encompasses all media platforms like TV, print and digital is an interesting idea and the Govt should look at it seriously.

This proposition should be vigorously pursued and will help the industry to adopt a more cohesive approach and help in removing major bottlenecks in the sector. Like in USA they have the Federal Communications Commission which is an independent agency of the United States government that regulates communications by radio, television, wire, satellite, and cable across the United States. Like in UK there is Ofcom who is the regulator and competition authority for the UK communications industries.

The first original Mccoy and desi poster boy of the Indian broadcast industry – Subhash Chandra is trying to make a comeback into the industry with a new venture. It will be interesting to see how his new venture pans out.

The NTO 2.0 battle has now reached the Supreme Court and they issued notice to Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) on the petitions filed by the Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF) against the Bombay High Court verdict which upheld the New Tariff Order (NTO) 2.0.

The TRAI will have to file its reply by 7th September. The broadcasters have failed to get an interim relief for the second time, even as the time to file the Reference Interconnect Offers (RIO) has elapsed on 12th August.

Investors are now looking at space sector as a viable investment opportunity— thanks to a number of factors, including the Indian government's move to open up the spacetech sector to include private players. The Satcom Industry Association of India (SIA-India) will play a stellar role in addressing the critical issues and challenges faced by the Satellite industry.

(Manoj Kumar Madhavan)

टीवी, डिजिटल और प्रिंट की देखरेख के लिए एक मीडिया काउंसिल का विचार एक दिलचस्प प्रस्ताव है और यह मीडिया क्षेत्र में सभी प्रमुख हितधारकों के लिए एक एकीकृत कमान होगी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को एक मीडिया काउंसिल की स्थापना का प्रस्ताव जिसमें टीवी, प्रिंट और डिजिटल जैसे सभी मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल है, एक दिलचस्प विचार है और सरकार को इसे गंभीरता से देखना चाहिए।

इस प्रस्ताव का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इससे उद्योग को अधिक एकजुट दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में प्रमुख बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अपना संघीय संचार आयोग है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो पूरे अमेरिका भर में रेडियो, टेलीविजन, तार, सैटेलाइट और केबल द्वारा संचार को नियंत्रित करती है। यूके में भी ऑफकॉम है जो यूके संचार उद्योग के लिए नियामक और प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण है।

भारतीय प्रसारण उद्योग के पहले मूल मैककॉय और देसी पोस्टर बॉय –सुभाष चंद्रा एक नये उद्यम के साथ उद्योग में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नये उद्यम को देखना दिलचप होगा।

*एनटीओ **2.0** की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गयी है और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) द्वारा दायर याचिकाओं पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को नोटिस जारी किया है जिसने नये टैरिफ आदेश (एनटीओ) **2.0** को बरकरार रखा है।*

*ट्राई को **7** सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। प्रसारक दूसरी बार अंतरिम राहत पाने में विफल रहे हैं जबकि रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) दाखिल करने का समय **12** अगस्त को समाप्त हो गया।*

निवेशक अब अंतरिक्ष क्षेत्र को एक व्यवहार्य निवेश अवसर के रूप में देख रहे हैं–निजी कंपनियों को शामिल करने के लिए स्पेसटेक क्षेत्र को खोलने के लिए भारत सरकार के कदम सहित कई कारकों को इसके लिए धन्यवाद। सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसआईए इंडिया) सैटेलाइट उद्योग के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

(Manoj Kumar Madhavan)

SUBHASH CHANDRA PLANS NEW PROJECT

Subhash Chandra was the real Mccoy of Indian broadcasting and one of the earliest. It will be interesting to see his new venture unfold in the media ecosystem

Subhash Chandra, a leading doyen of the Indian broadcasting industry has settled over 91% of the debt settled to 43 lenders and the remaining dues are in the process of being paid.

Sharing the key points pertaining to the debt resolution, Dr. Chandra said, "I am happy to report that we have come out of the financial stress situation by settling 91.2% of our total debt to 43 lenders in 110 accounts. 88.3% amount has been paid, while the remaining 2.9% is in the process of being paid. We are making all the required efforts to settle the remaining 8.8% of our total debt. I have no regrets for parting with a substantial ownership in the business and specially in the 'jewels of the crown'. This was done to keep the family's honour."

SUBHASH CHANDRA

Dr. Chandra further elaborated on his earnest desire to settle the remaining outstanding dues before the end of this fiscal year or before. He also emphasized on the fact that he does not regret the decision taken to part with a substantial portion of his ownership in his key businesses, attributing this decision taken to preserve the honour of his family. He reiterated the exit from the Infrastructure, Financial services & Print Media businesses.

Dr. Chandra shared his next steps in terms of setting up a venture in the video space in the digital ecosystem. Chandra shared, "I have earned a fair experience in the video business; hence I am exploring new ways / business opportunities in the "video in digital space" as well as AI/ML (Artificial Intelligence & Machine Learning) in the video space, without getting into any conflicts with ZEEL, in any manner. I will provide the specifics very soon and you all will witness the initial phase of launch, of a yet another pioneering venture." ■

नयी परियोजना की योजना बनायी सुभाष चंद्रा ने

श्री सुभाष चंद्रा भारतीय प्रसारण के असली और सबसे शुरूआती दिनों के महारथी थे। यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका नया उद्यम मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे आगे बढ़ेगा।

भारतीय प्रसारण उद्योग के प्रमुख नेता सुभाष चंद्रा ने **43** उधारदाताओं के **91** प्रतिशत से अधिक ऋण का भुगतान कर लिया है और शेष बकाया भुगतान की प्रक्रिया में है।

ऋण समाधान से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को साझा करते हुए डॉ.चंद्रा ने कहा 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम **110** खातों **43** उधारदाताओं को अपने कुल ऋण का **91.2%** निपटान करके वित्तीय तनाव की स्थिति से बाहर आ गये हैं। **88.3** प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है जबकि शेष **2.9** प्रतिशत भुगतान की प्रक्रिया में है। हम अपने कुल कर्ज के शेष **8.8%** निपटान के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रहे हैं। मुझे व्यवसाय में विशेष रूप से 'ताज के गहनों' में पर्याप्त स्वामित्व के साथ अलग होने का कोई पछतावा नहीं है। ऐसा परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया गया था।'

डॉ. चंद्रा ने चालू वित्तीय वर्ष के अंत से पहले या उससे पहले शेष बकाया राशि का निपटान करने की अपनी गंभीर इच्छा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि उन्हें अपने परिवार के सम्मान को बनाये रखने के लिए उठाये गये अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है, जिसके चलते उन्हें अपने प्रमुख व्यवसाय के बड़े हिस्से के स्वामित्व से अलग होना पड़ा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय सेवाओं और प्रिंट व्यवसायों से बाहर निकलने की बात को फिर से दोहराया।

डॉ.चंद्रा ने डिजिटल इकोसिस्टम में वीडियो खंड में एक उद्यम स्थापित करने के संदर्भ में अपने अगले कदम को साझा किया। श्री चंद्रा ने बताया कि "मैंने वीडियो व्यवसाय में अच्छा अनुभव अर्जित किया है, इसलिए मैं 'डिजिटल स्पेस में वीडियो' के साथ-साथ एआई/एमएल (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग) में वीडियो स्पेस में नये तरीके/व्यवसायिक अवसरों की खोज कर रहा हूं, और वह भी जेडईई एल के साथ किसी भी तरह के टकराव के बिना। मैं बहुत जल्दी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और आप सभी एक और अग्रणी उद्यम के लॉन्च के शुरूआती चरण को देखेंगे। ■

DIGITAL MEDIA ETHICS CODE

The Bombay High Court has ordered an interim stay on the provisions of Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, including the Code of Ethics that have to be followed by digital news media and online publishers. SCaT reproduces the digital media ethics code proposed by the Govt.

APPLICATION OF THIS PART

(1) The rules made shall apply to the following persons or entities:

(a) publishers of news and current affairs content;

(b) publishers of online curated content; and

shall be administered by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, which shall be referred as the "Ministry"

Provided that the rules made shall apply to intermediaries for the purposes of rules 15 and 16;

(2) The rules made shall apply to the publishers, where,—

(a) such publisher operates in the territory of India; or

(b) such publisher conducts systematic business activity of making its content available in India.

Explanation:

(a) a publisher shall be deemed to operate in the territory of India where such publisher has a physical presence in the territory of India;

(b) "systematic activity" shall mean any structured or organised activity that involves an element of planning, method, continuity or persistence.

(3) The rules made under this Part shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force and any remedies

डिजिटल मीडिया आचार संहिता

*बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम **2021** के प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसमें आचार संहिता भी शामिल है जिसका डिजिटल समाचार मीडिया और ऑन लाइन प्रकाशकों द्वारा पालन किया जाना है। स्कैट सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल मीडिया आचार संहिता को फिर से प्रस्तुत कर रहा है।*

इस भाग का लागू होना –

(1) इस भाग के अधीन बनाये गये नियम निम्नलिखित व्यक्तियों या अस्तित्वों को लागू होंगे, अर्थातः–

(क) समाचार और समसामयिक मामलों की अंतर्वस्तु के प्रकाशक

(ख) ऑनलाइन चयनित अंतर्वस्तु के प्रकाशक, और

इसका प्रशासन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसे इस भाग में 'मंत्रालय' के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगाः

परंतु इस भाग अधीन बनाये गये नियम, नियम **15** और नियम **16** के प्रयोजनों के लिए मध्यवर्तियों को लागू होंगे।

(**2**) इस भाग के अधीन बनाये गये नियम प्रकाशकों को लागू होंगे, जहां–

(क) ऐसा प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन करता है, या

(ख) ऐसा प्रकाशक भारत में इसकी अंतर्वस्तु उपलब्ध करवाने का व्यवस्थित कारबार क्रियाकलाप संचालित करता है।

स्पष्टीकरण –

(क) कोई प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन करने वाला समझा जायेगा, जहां ऐसा प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति रखता है,

(ख) 'व्यवस्थित क्रियाकलाप' से कोई संरचनात्मक या संगठित क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसमें योजना, पद्धति, निरंतरता या अध्यवसाय अंतर्वलित है।

(**3**) इस भाग के अधीन बनाये गये नियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे ना कि उनके अल्पीकरण में

available under such laws including the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by the Public) Rules, 2009.

OBSERVANCE AND ADHERENCE TO THE CODE

(1) A publisher referred to in rule shall observe and adhere to the Code of Ethics laid down in the Appendix annexed to these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules, a publisher referred to in rule 8 who contravenes any law for the time being in force, shall also be liable for consequential action as provided in such law which has so been contravened.

(3) For ensuring observance and adherence to the Code of Ethics by publishers operating in the territory of India, and for addressing the grievances made in relation to publishers under this Part, there shall be a three-tier structure as under—

(a) Level I - Self-regulation by the publishers;

(b) Level II – Self-regulation by the self-regulating bodies of the publishers;

(c) Level III - Oversight mechanism by the Central Government.

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

FURNISHING AND PROCESSING OF GRIEVANCE

(1) Any person having a grievance regarding content published by a publisher in relation to the Code of Ethics may furnish his grievance on the grievance mechanism established by the publisher under rule 11.

और ऐसी विधियों के अधीन उपलब्ध कोई उपचार, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरूद्ध करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम 2009 भी हैं।

संहिता का पालन और अनुसरण–

(1) नियम 8 में निर्दिष्ट कोई प्रकाशक इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट में अधिकथित आचार संहिता का पालन और अनुसरण करेगा।

(2) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 8 में निर्दिष्ट कोई प्रकाशक जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन करता है, वह ऐसी विधि में यथा उपबंधित पारिणामिक कार्रवाई के लिए भी दायी होगा, जिसका इस प्रकार उल्लंघन किया गया है।

(3) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन कर रहे प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का पालन और अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए तथा इस भाग के अधीन प्रकाशकों के संबंध में की गयी शिकायतों के समाधान के लिए, निम्नानुसार त्रिस्तरीय संरचना होगी–

(क) स्तर 1 – प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियमन

(ख) स्तर 2 – प्रकाशकों के स्वतः विनियामक निकायों द्वारा स्वतः विनियमन

(ग) स्तर 3 – केन्द्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि।

शिकायत समाधान क्रियाविधि

शिकायत प्रस्तुत और प्रक्रियागत करना –

(1) आचार संहिता के संबंध में प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अंतर्वस्तु के बारे में शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति नियम 11 के अधीन प्रकाशक और स्थापित शिकायत क्रियाविधि पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

- In-depth & Unbiased Market Information
- Technology Breakthroughs
- Reaches More Than 40,000 Personnel Across The Satellite & Cable TV Industry every month

SATELLITE & Cable TV

... You Know What You Are Doing But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact:
Mob.: +91-7021850198
Email: scat.sales@nm-india.com

(2) The publisher shall generate and issue an acknowledgement of the grievance for the benefit of the complainant within twenty-four hours of it being furnished for information and record.

(3) The manner of grievance redressal shall have the following arrangement–

(a) the publisher shall address the grievance and inform the complainant of its decision within fifteen days of the registration of the grievance;

(b) if the decision of the publisher is not communicated to the complainant within the stipulated fifteen days, the grievance shall be escalated to the level of the self–regulating body of which such publisher is a member.

(c) where the complainant is not satisfied with the decision of the publisher, it may prefer to appeal to the self-regulating body of which such publisher is a member within fifteen days of receiving such a decision.

(d) the self-regulating body shall address the grievance referred to in clauses (b) and (c), and convey its decision in the form of a guidance or advisory to the publisher, and inform the complainant of such decision within a period of fifteen days..

(e) where the complainant is not satisfied with the decision of the self-regulating body, it may, within fifteen days of such decision, prefer an appeal to the Oversight Mechanism referred to in rule 13 for resolution.

SELF REGULATING MECHANISM - LEVEL I

(1) The publisher shall be the Level I of the selfregulating mechanism.

(2) A publisher shall—

(a) establish a grievance redressal mechanism and shall appoint a Grievance Officer based in India, who shall be responsible for the redressal of grievances received by him;

(b) display the contact details related to its grievance redressal mechanism and the name and contact details of its Grievance Officer at an appropriate place on its website or interface, as the case may be;

(2) प्रकाशक, शिकायत के सूचना और अभिलेख के प्रस्तुत किये जाने के चौबीस घंटों के भीतर शिकायतकर्ता के फायदे के लिए शिकायत की अभिस्वीकृति सृजित और जारी करेगा।

(3) शिकायत के समाधान की रीति के लिए निम्नलिखित व्यवस्था होगी–

(क) प्रकाशक शिकायत का समाधान करेगा और शिकायत के रजिस्ट्रीकरण के पंद्रह दिन के भीतर अपने विनिश्चय के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

(ख) यदि प्रकाशक का विनिश्चय नियत पंद्रह दिन के भीतर शिकायतकर्ता को संसूचित नहीं किया जाता है तो शिकायत को स्वतः विनियामक निकाय के उच्च स्तर पर भेज दिया जायेगा जिसका प्रकाशक एक सदस्य है।

(ग) जहां शिकायतकर्ता प्रकाशक के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो वह स्वतः विनियामक निकाय को ऐसा विनिश्चय प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर अपील कर सकेगा जिसका ऐसा प्रकाशक सदस्य है।

(घ) स्वतः विनियामक निकाय खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट शिकायत का समाधान करेगा और प्रकाशक को अपना विनिश्चय मार्गदर्शन या सलाह के रूप में भेजेगा और पंद्रह दिन के अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को ऐसे विनिश्चय की सूचना देगा।

(ड) जहां शिकायतकर्ता स्वतः विनियामक निकाय के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऐसे विनिश्चय के पंद्रह दिन के भीतर समाधान के लिए नियम 13 में निर्दिष्ट निरीक्षण क्रियाविधि को अपील कर सकेगा।

स्वतः विनियामक क्रियाविधि – स्तर 1

(1) प्रकाशक स्वतः विनियामक क्रियाविधि के स्तर 1 पर होगा।

(2) प्रकाशक –

(क) एक शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि स्थापित करेगा और भारत में अचस्थित एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगा जो उसके द्वारा प्राप्त शिकायतों के प्रतितोषण के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) इसकी शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि से संबंधित संपर्क ब्यौरे प्रदर्शित करेगा, शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क के ब्यौरे, यथास्थिति, इसके वेबसाइट के किसी समुचित स्थान पर या अंतरापृष्ठ पर प्रदर्शित करेगा।

(ग) ऐसी प्रत्येक शिकायत की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर

(c) ensure that the Grievance Officer takes a decision on every grievance received by it within fifteen days, and communicate the same to the complainant within the specified time;

(d) be a member of a self-regulating body as referred to in rule 12 and abide by its terms and conditions.

(3) The Grievance Officer shall,—

(a) be the contact point for receiving any grievance relating to Code of Ethics;

(b) act as the nodal point for interaction with the complainant, the self-regulating body and the Ministry.

(4) Online curated content shall be classified by the publisher of such content into the categories referred to in the Schedule, having regard to the context, theme, tone, impact and target audience of such content, with the relevant rating for such categories based on an assessment of the relevant content descriptors in the manner specified in the said Schedule.

(5) Every publisher of online curated content shall display the rating of any online curated content and an explanation of the relevant content descriptors, prominently to its users at an appropriate place, as the case may be, in a manner that ensures that such users are aware of this information before accessing such content.

SELF REGULATING MECHANISM – LEVEL II

SELF-REGULATING BODY

(1) There may be one or more self-regulatory bodies of publishers, being an independent body constituted by publishers or their associations.

(2) The self-regulatory body referred to in sub-rule (1) shall be headed by a retired judge of the Supreme Court, a High Court, or an independent eminent person from the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights or such other relevant field, and have other members, not exceeding

शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गये विनिश्चय को सुनिश्चित करेगा और विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे शिकायतकर्ता को संसूचित करेगा।

(घ) नियम **12** में यथा-निर्दिष्ट किसी स्वतः विनियामक निकाय का सदस्य होगा और इसके निबंधन और शर्तों का पालन करेगा।

(**3**) शिकायत अधिकारी-

(क) आचार संहिता से संबंधित किसी शिकायत को प्राप्त करने के लिए संपर्क केंद्र होगा

(ख) शिकायतकर्ता, स्वतः विनियामक निकाय और मंत्रालय के साथ अन्योन्यक्रिया के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

(**4**) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु अनुसूची में निर्दिष्ट प्रवर्गों में ऐसे अंतर्वस्तु के प्रकाशक द्वारा वर्गीकृत किया जायेगा, ऐसी अंतर्वस्तु के संदर्भ, विषय-वस्त, स्वर, प्रभाव और लक्ष्य दर्शक, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में सुसंगत अंतर्वस्तु विवरणकर्ता के किसी निर्धारण पर आधारित ऐसे प्रवर्गों के लिए सुसंगत दर से संबंधित होगा।

(**5**) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रत्येक प्रकाशक किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु की दर को प्रकाशित करेगा और यथास्थिति, ऐसी रीति में किसी समुचित स्थान पर इसके उपयोक्ताओं को सुसंगत अंतर्वस्तु विवरणकर्ता को प्रमुख रूप से स्पष्टीकरण देगा ताकि ऐसे उपयोक्ता को किसी अंतर्वस्तु पर पहुंचने से पहले इस सूचना की जानकारी हो।

स्वतः विनियामक क्रियाविधि – स्तर 2

स्वतः विनियामक निकाय-

(**1**) प्रकाशक या उसके सहयोजनों द्वारा गठित कोई स्वतंत्र निकाय, प्रकाशकों का एक या अधिक स्वयं विनिमयकारी निकाय हो सकेगा।

(**2**) उपनियम (**1**) में निर्दिष्ट स्वयं विनिमयकारी निकाय की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकारी, मानव अधिकारी से किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जायेगी और इसके अन्य सदस्य मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव

six, being experts from the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights and such other relevant fields.

(3) The self-regulating body shall, after its constitution in accordance with sub-rule (2), register itself with the Ministry within a period of thirty days from the date of notification of these rules, and where a self-regulating body is constituted after such period, within thirty days from the date of its constitution:

Provided that before grant of registration to the self-regulating body, the Ministry shall satisfy itself that the self-regulating body has been constituted in accordance with sub-rule (2) and has agreed to perform the functions laid down in sub-rules (4) and (5).

(4) The self-regulating body shall perform the following functions, namely:—

(a) oversee and ensure the alignment and adherence by the publisher to the Code of Ethics;

(b) provide guidance to publishers on various aspects of the Code of Ethics;

(c) address grievances which have not been resolved by publishers within the specified period of fifteen days;

(d) hear appeals filed by the complainant against the decision of publishers;

(e) issue such guidance or advisories to such publishers as specified in sub-rule (5) for ensuring compliance to the Code of Ethics.

(5) The self-regulating body while disposing a grievance or an appeal referred to it in sub-rule (4) may issue following guidance or advisories to the publishers as under, namely:—

(a) warning, censuring, admonishing or reprimanding the publisher; or

(b) requiring an apology by the publisher; or

(c) requiring the publisher to include a warning card or a disclaimer; or

(d) in case of online curated content, direct the publisher to,—

(i) reclassify ratings of relevant content;

(ii) make appropriate modification in the content descriptor, age classification and access control measures;

(iii) edit synopsis of relevant content; or

अधिकार और ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्रों के छह से अनधिक विशेषज्ञ होंगे।

(3) स्वतः विनियामक निकाय उपनियम (2) के अनुसार अपने गठन के पश्चात्, मंत्रालय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर और जहां कोई स्वतः विनियामक निकाय, जो उसके गठन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसी अवधि के पश्चात् गठित की जाती है, रजिस्टर करेगाः

परंतु स्वतः विनियामक निकाय को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले मंत्रालय अपना यह समाधान करेगा कि स्वतः विनियामक निकाय का गठन उपनियम (2) के अनुसार किया गया है और वह उपनियम (4) और उपनियम (5) में अधोकथित कृत्यों का पालन करने के लिए सहमत है।

(4) स्वतः विनियामक निकाय निम्नलिखित कृत्यों को करेगा, अर्थात्ः

(क) आचार संहिता के प्रकाशक द्वारा संरेखण और अनुपक्ति का पर्यवेक्षण करना और उसे सुनिश्चित करना

(ख) आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशकों को मार्गदर्शन प्रदान करना

(ग) पंद्रह दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रकाशकों द्वारा समाधान न की गयी शिकायतों को इंगित करना

(घ) प्रकाशकों के विनिश्चय के विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गयी अपीलों को सुनना

(ड) आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपनियम (5) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्रकाशकों को ऐसे दिशानिर्देश और परामर्शिका जारी करना।

(5) कोई स्वतः विनियामक निकाय जब किसी शिकायत का निपटारा या उपनियम (4) में निर्दिष्ट किसी अपील का निपटारा कर रही है तो प्रकाशकों को निम्नलिखित दिशानिर्देश या परामर्शिका जारी कर सकेगी, अर्थात् ः–

(क) प्रकाशक को चेतावनी देना, परिनिंदा करना, भर्त्सना करना या फटकार लगाना, या

(ख) प्रकाशक से क्षमा मांगने की अपेक्षा करना, या

(ग) चेतावनी कार्ड या किसी इंकार को सम्मिलित करते हुए प्रकाशक से अपेक्षा करना या

(घ) ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु की दशा में, प्रकाशक को निर्देश देना कि–

(i) सुसंगत अंतर्वस्तु की रेटिंग का पुनःवर्गीकरण करे,

(ii) विवरणकर्ता, उम्र का वर्गीकरण और नियंत्रण उपायों तक पहुंच की अंतर्वस्तु में समुचित उपांतरण कर,

(iii) सुसंगत अंतर्वस्तु के सारांश को बदले, या

(e) in case of any content where it is satisfied that there is a need for taking action to delete or modify the content for preventing incitement to the commission of a cognizable offence relating to public order, or in relation to the reasons enumerated in sub-section (1) of section 69A of the Act, refer such content to the Ministry for consideration by the Oversight Mechanism referred to in rule 13 for appropriate action.

(6) Where the self-regulating body is of the opinion that there is no violation of the Code of Ethics, it shall convey such decision to the complainant and such entity.

(7) Where a publisher fails to comply with the guidance or advisories of the self-regulating body within the time specified in such guidance or advisory, the self-regulating body shall refer the matter to the Oversight Mechanism referred to in rule 13 within fifteen days of expiry of the specified date.

OVERSIGHT MECHANISM - LEVEL III

OVERSIGHT MECHANISM

(1) The Ministry shall co-ordinate and facilitate the adherence to the Code of Ethics by publishers and self regulating bodies, develop an Oversight Mechanism, and perform the following functions, namely:—

(a) publish a charter for self regulating bodies, including Codes of Practices for such bodies;

(b) establish an Inter-Departmental Committee for hearing grievances;

(c) refer to the Inter-Departmental Committee grievances arising out of the decision of the selfregulating body under rule 12, or where no decision has been taken by the self-regulating body within the specified time period, or such other complaints or references relating to violation of Code of Ethics as it may consider necessary;

(d) issue appropriate guidance and advisories to publishers;

(e) issue orders and directions to the publishers for maintenance and adherence to the Code of Ethics.

(2) The Ministry shall appoint an officer of the Ministry not below the rank of a Joint Secretary to the

(ङ) किसी अंतर्वस्तु की दशा में, जहां वह संतुष्ट है कि समुचित कार्रवाई के लिए लोक व्यवस्था से संबंधित किये गये संज्ञेय अपराध के लिए उद्यापन के निवारण इसके लिए अंतर्वस्तु को बदलने या उपांतरित करने के लिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है या अधिनियम की धारा **60**क की उपधारा (**1**) में संगणित कारणों के संबंध में नियम **13** में निर्दिष्ट अन्वेक्षा क्रियाविधि द्वारा विचार के लिए मंत्रालय को निर्दिष्ट करना।

(**6**) जहां स्वतः विनियामक निकाय की यह राय है कि आचार संहिता का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है तो वह शिकायतकर्ता और ऐसी इकाई को ऐसे विनिश्चय के संबंध में संसूचित करेगी।

(**7**) जहां कोई प्रकाशक, ऐसे दिशानिर्देश या परामर्शिका में विनिर्दिष्ट समय के भीतर स्वतः विनियामक निकाय के दिशानिर्देशों और परामर्शिकाओं का पालन करने में असफल रहता है तो स्वतः विनियामक निकाय मामले को विनिर्दिष्ट तारीख की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नियम **13** में निर्दिष्ट अन्वेक्षा क्रियाविधि को निर्दिष्ट करेगा।

अन्वेक्षा क्रियाविधि – स्तर 3

अन्वेक्षा क्रियाविधि–

(**1**) मंत्रालय, प्रकाशकों और स्वतः विनियामक निकायों द्वारा आचार संहिता की अनुपक्ति का समन्वय करेगा और उसे सुकर बनायेगा, अन्वेक्षा क्रियाविधि का विकास करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों को करेगा, अर्थात्:

(क) ऐसे निकायों के लिए व्यवहार संहिता को सम्मिलित करते हुए, स्वतः विनियामक निकायों के लिए चार्टर का प्रकाशन करना,

(ख) शिकायतों को सुनने के लिए एक अंतर–विभागीय समिति की स्थापना करना

(ग) नियम **12** के अधीन स्वतः विनियामक निकाय के विनिश्चय से उद्भूत शिकायतों को या जहां विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर स्वतः विनियामक निकाय द्वारा कोई विनिश्चय नहीं लिया गया है या आचार संहिता के अतिक्रमण से संबंधित ऐसी अन्य शिकायतें या निर्देश को, जिसे आवश्यक समझा जाए, अंतर–विभागीय समिति को निर्दिष्ट करना,

(घ) प्रकाशकों को समुचित दिशानिर्देश और परामर्शिका जारी करना

(ङ) आचार संहिता के अनुरक्षण और अनुपक्ति के लिए प्रकाशकों को आदेश और निदेश जारी करना।

(**2**) मंत्रालय, यथास्थिति, नियम **15** या नियम **16** के अधीन निर्देशों को जारी करने के प्रयोजनों के लिए 'प्राधिकृत अधिकारी' के

Government of India, as the "Authorised Officer", for the purposes of issuing directions under rules 15 or 16, as the case may be.

INTER-DEPARTMENTAL COMMITTEE

(1) The Ministry shall constitute an Inter-Departmental Committee, called the Committee, consisting of representatives from the Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Law and Justice, Ministry of Home Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of External Affairs, Ministry of Defence, and such other Ministries and Organisations, including domain experts, that it may decide to include in the Committee:

Provided that the Authorised Officer designated under sub-rule (2) of rule 13 shall be the Chairperson of such Committee.

(2) The Committee shall meet periodically and hear the following complaints regarding violation or contravention of the Code of Ethics by the entities referred to in Rule 8–

(a) arising out of the grievances in respect of the decisions taken at the Level I or II, including the cases where no such decision is taken within the time specified in the grievance redressal mechanism; or

(b) referred to it by the Ministry.

(3) Any complaint referred to the Committee, whether arising out of the grievances or referred to it by the Ministry, shall be in writing and may be sent either by mail or fax or by e-mail signed with electronic signature of the authorised representative of the entity referring the grievance, and the Committee shall ensure that such reference is assigned a number which is recorded along with the date and time of its receipt.

(4) The Ministry shall make all reasonable efforts to identify the entity referred to in Rule 8 which has created, published or hosted the content or part thereof, and where it is able to identify such entity, it shall issue a duly signed notice to such entity to appear and submit their reply and clarifications, if any, before the Committee.

रूप में ऐसे व्यक्ति को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, मंत्रालय का एक अधिकारी नियुक्त करेगा।

अंतर–विभागीय समिति–

(1) मंत्रालय, एक अंतर–विभागीय समिति गठित करेगा जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और ऐसे अन्य मंत्रालय और संगठन जिसमें ऐसे डोमेन विशेषज्ञ सम्मिलित हैं जिसे समिति में सम्मिलित करने का विनिश्चय किया जा सके, के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी हुई समिति कही जायेगीः

परंतु नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन अभिहित प्राधिकृत अधिकारी ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) समिति, आवधि रूप से बैठक करेगी और नियम 8 में निर्दिष्ट इकाइयों द्वारा आचार संहिता के अतिक्रमण और उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित शिकायतें भी सुनेंगी–

(क) स्तर 1 या स्तर 2 पर लिए गये विनिश्चयों के संबंध में उद्भूत शिकायतें, जिसमें ऐसे मामले सम्मिलित हैं, जहां शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे विनिश्चय नहीं लिए गये हैं, या

(ख) जिसे मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(3) समिति को निर्दिष्ट ऐसी कोई शिकायत, चाहे वह शिकायतों से उद्भूत हो या मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट हो, लिखित में होगी और शिकायत को निर्दिष्ट करते हुए इकाई के प्राधिकृत प्रतिनिधि के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के साथ मेल या फैक्स द्वारा या ई–मेल द्वारा भेजा जा सकेगा और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे निर्देश में कोई संख्या समनुदेशित की जायेगी, जो इसकी प्राप्ति की तारीख और समय के साथ अभिलिखित की गयी हो।

(4) मंत्रालय, नियाम 8 में निर्दिष्ट इकाई की पहचान के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगी जो अंतर्वस्तु या उसके भाग का सृजन, प्रकाशित या होस्ट किया गया है और जहां ऐसी इकाई की पहचान योग्य हो जाती है, तो वह समिति के समक्ष उसका उत्तर या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने और प्रकट करने के लिए ऐसी इकाई को सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सूचना जारी करेगा।

(5) In the hearing, the Committee shall examine complaints or grievances, and may either accept or allow such complaint or grievance, and make the following recommendations to the Ministry, namely:—

(a) warning, censuring, admonishing or reprimanding such entity; or

(b) requiring an apology by such entity; or

(c) requiring such entity to include a warning card or a disclaimer; or

(d) in case of online curated content, direct a publisher to—

(i) reclassify ratings of relevant content; or

(ii) edit synopsis of relevant content; or

(iii) make appropriate modification in the content descriptor, age classification and parental or access control;

(e) delete or modify content for preventing incitement to the commission of a cognisable offence relating to public order;

(f) in case of content where the Committee is satisfied that there is a need for taking action in relation to the reasons enumerated in sub-section (1) of section 69A of the Act, it may recommend such action.

(6) The Ministry may, after taking into consideration the recommendations of the Committee, issue appropriate orders and directions for compliance by the publisher:

Provided that no such order shall be issued without the approval of the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India (hereinafter referred to as the "Secretary, Ministry of Information and Broadcasting").

PROCEDURE FOR ISSUING OF DIRECTION

(1) In respect of recommendations referred to in clauses (e) and (f) of sub-rule (5) of rule 14, the Authorised Officer shall place the matter for consideration before the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting for taking appropriate decision.

(2) The Authorised Officer shall, on approval of the decision by the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, direct the publisher, any agency of the Government or any intermediary, as the case may be to delete or modify or block the relevant content and information generated, transmitted, received, stored or

(5) सुनवाई में, समिति परिवाद और शिकायतों की परीक्षा करेगी और ऐसे परिवाद या शिकायत को या तो स्वीकार करेगी या अनुज्ञात करेगी और मंत्रालय को निम्नलिखित सिफारिशें दे सकेगी, अर्थात् ः–

(क) ऐसी इकाई को चेतावनी, परिनिंदा, भर्त्सना या फटकारना या

(ख) ऐसी इकाई द्वारा क्षमा की अपेक्षा, या

(ग) ऐसी इकाई से चेतावनी कार्ड या दावा त्याग को सम्मिलित करने की अपेक्षा, या

(घ) यदि आनलाइन संगृहित अंतर्वस्तु किसी प्रसारक को –

(i) सुसंगत अंतर्वस्तु की रेटिंग को वर्गीकृत करने या

(ii) सुसंगत अंतर्वस्तु की रूपरेखा को संपादित करने या

(iii) अंतर्वस्तु निरूपक, आयु वर्गीकरण और पैतृक या पहुंच नियंत्रण में समुचित उपांतरण करने का निदेश देती है,

(ङ) लोक व्यवस्था से संबंधित संज्ञेय अपराध कारित किये जाने के उत्प्रेरण को रोकने के लिए अंतर्वस्तु का लोप या उपांतरण,

(च) ऐसी अंतर्वस्तु की दशा में, जहां समिति का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा **69**क की उपधारा (**1**) में संख्याकित कारणों के संबंध में कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है, वह ऐसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगी।

(**6**) मंत्रालय, समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, प्रकाशक द्वारा अनुपालन के लिए समुचित आदेश और निदेश जारी कर सकेगाः

परंतु ऐसा कोई आदेश, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय' कहा गया है) के अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जायेगा।

निदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया –

(**1**) नियम **14** के उपनियम (**5**) के खंड (ङ) और खंड (च) में निर्दिष्ट सिफारिशों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी, मामले को समुचित विनिश्चय के लिए सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समक्ष विचार के लिए रखेगा।

(**2**) प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विनिश्चय के अनुमोदन पर प्रकाशक को, यथास्थिति, सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को सुसंगत अंतर्वस्तु और लोक पहुंच के लिए उनके कंप्यूटर स्रोत में जनित, पारेषित, प्राप्त,

hosted in their computer resource for public access within the time limit specified in the direction:

Provided that in case the recommendation of the Authorised Officer is not approved by the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, the Authorised Officer shall convey the same to the Committee.

(3) A direction under this rule may be issued only in respect of a specific piece of content or an enumerated list of content, as the case may be, and shall not require any entity to cease its operations.

BLOCKING OF INFORMATION IN CASE OF EMERGENCY

(1) Notwithstanding anything contained in rules 14 and 15, the Authorised Officer, in any case of emergency nature, for which no delay is acceptable, shall examine the relevant content and consider whether it is within the grounds referred to in sub-section (1) of section 69A of the Act and it is necessary or expedient and justifiable to block such information or part thereof and submit a specific recommendation in writing to the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.

(2) In case of emergency nature, the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting may, if he is satisfied that it is necessary or expedient and justifiable for blocking for public access of any information or part thereof through any computer resource and after recording reasons in writing, as an interim measure issue such directions as he may consider necessary to such identified or identifiable persons, publishers or intermediary in control of such computer resource hosting such information or part thereof without giving him an opportunity of hearing.

(3) The Authorised Officer, at the earliest but not later than forty-eight hours of issue of direction under sub-rule (2), shall bring the request before the Committee for its consideration and recommendation.

(4) On receipt of recommendations of the Committee under sub-rule (3), the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, shall pass the final order as regard to approval of such request and in case the request for blocking is not approved by the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting in his final order, the interim direction issued under sub-rule (2) shall be revoked and the person, publisher

भंडारित या पोषित सूचना को निदेश में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हटाने या उपांतरित करने या ब्लाक करने का निदेश देगाः

परंतु यदि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिशों का अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी समिति को सूचित करेगा।

(3) इस नियम के अधीन निदेश केवल, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट अंतर्वस्तु की संख्यांकित सूची के बारे में जारी किया जायेगा और किसी इकाई से उसके प्रचालन को समाप्त करने की अपेक्षा नहीं करेगा।

आपात की दशा में सूचना को रोकना –

(1) नियम 14 और नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी, आपात की दशा में जिसके लिए कोई विलंब स्वीकार्य नहीं है, सुसंगत अंतर्वस्तु की परीक्षा करेगा और विचार करेगा कि क्या यह अधिनियम की धारा 69क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आधारों के अधीन आता है और ऐसी सूचना या उसके किसी भाग को रोकना आवश्यक या समीचीन और न्यायोचित है तथा सचिव, सूचना व प्रसारण मंत्रालय को लिखित में विनिर्दिष्ट सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

(2) आपात की दशा में, यदि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी कंप्यूटर स्रोत के माध्यम से सूचना या उसके किसी भाग तक लोक पहुंच को अवरूद्ध करना आवश्यक या समीचीन और न्यायोचित है तो वह कारण अभिलिखित करते हुए, अंतरिम उपाय के रूप में ऐसी सूचना या उसके किसी भाग को पोषित करने वाले किसी कंप्यूटर संसाधन पर नियंत्रण रखने वाले पहचान किये गये या पहचान योग्य व्यक्तियों, प्रकाशकों या मध्यवर्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(3) प्राधिकृत अधिकारी यथाशीघ्र, लेकिन उपनियम (2) के अधीन निदेश जारी किये जाने से अड़तालीस घंटों से अनधिक समय के भीतर समिति के समक्ष विचार और सिफारिश के लिए अनुरोध करेगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऐसे अनुरोध के अनुमोदन के संबंध में अंतिम आदेश पारित करेगा और यदि ऐसे अवरूद्ध किये जाने के अनुरोध का अनुमोदन सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है तो उपनियम (2) के अधीन जारी अंतरिम निदेश प्रतिसंहृत किया जायेगा और तदनुसार ऐसी

or intermediary in control of such information shall be accordingly, directed to unblock the information for public access.

REVIEW OF DIRECTIONS ISSUED

(1) The Authorised Officer shall maintain complete records of the proceedings of the Committee, including any complaints referred to the Committee, and shall also maintain records of recommendations made by the Committee and any directions issued by the Authorised Officer.

(2) The Review Committee shall meet at least once in every two months and record its findings whether the directions of blocking of content or information issued under these rules are in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 69A of the Act and if it is of the opinion that the directions are not in accordance with the said provisions, it may set aside the directions and issue order for unblocking of such content or information generated, transmitted, received, stored or hosted in a computer resource.

Explanation: For the purpose of this rule, "*Review Committee*" shall mean the Review Committee constituted under rule 419A of the Indian Telegraph Rules, 1951.

FURNISHING OF INFORMATION

(1) A publisher of news and current affairs content and a publisher of online curated content operating in the territory of India, shall inform the Ministry about the details of its entity by furnishing information along with such documents as may be specified, for the purpose of enabling communication and coordination.

(2) The information referred to in sub-rule (1) shall be furnished within a period of thirty days of the publication of these rules, and where such publisher begins operation in the territory of India or comes into existence after commencement of these rules, within thirty days from the date of start of its operations in the territory of India or its coming into existence, as the case may be.

(3) The publisher of news and current affairs content and the publisher of online curated content shall publish periodic compliance report every month mentioning the details of grievances received and action taken thereon.

सूचना पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे व्यक्ति, प्रकाशक और मध्यवर्ती को लोक पहुंच के लिए सूचना पर से अवरोध हटाने का निदेश देगा।

जारी किये गये निदेशों का पुनर्विलोकन –

(1) प्राधिकृत अधिकारी समिति की कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत समिति को निर्दिष्ट शिकायते भी हैं, के पूर्ण अभिलेख अनुरक्षित करेगा और समिति द्वारा की गयी सिफारिशों और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये किन्हीं निदेशों का अभिलेख भी अनुरक्षित करेगा।

(2) पुनर्विलोकन समिति प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और उसके निष्कर्षो को अभिलिखित करेगी कि इन नियमों के अधीन अंतर्वस्तु या सूचना को अवरूद्ध करने के लिए जारी किये निदेश अधिनियम की धारा 69क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार है और यदि उसकी यह राय है कि निदेश उक्त उपबंधों के अनुसरण में नहीं है, वह ऐसे अंतर्वस्तु और कंप्यूटर संसाधन में जनित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या पोषित सूचना को अवरूद्ध करने के लिए निदेशों और जारी किये गये आदेशों को अपास्त कर सकेगी।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन के लिए 'पुनर्विलोकन समिति' से भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 419क के अधीन गठित समीक्षा समिति अभिप्रेत है।

सूचना का प्रस्तुत किया जाना

(1) समाचार और समसामयिकी अंतर्वस्तु का प्रकाशक और भारत राज्यक्षेत्र में संचालित ऑनलाइन संग्रहित अंतर्वस्तु का प्रकाशक मंत्रालय को ऐसे दस्तावेजों के साथ सूचना प्रस्तुत करके पर उसकी इकाई के ब्यौरों के बारे में जो उसमें संसूचना और समन्वयन को समर्थ बनाने के लिए विनिर्दिष्ट किये जाएं, सूचना देते हुए सूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना इन नियमों के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेगी और जहां ऐसा प्रकाशक इन नियमों के आरंभ के पश्चात् भारत राज्यक्षेत्र में प्रचालन का आरंभ करता है या अस्तित्व में आता है, यथास्थिति उसके भारत राज्यक्षेत्र में प्रचालन आरंभ करने या उसके अस्तित्व में आने की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(3) समाचार और समसामयिक अंतर्वस्तु का प्रकाशक, प्राप्त की गयी शिकायतों के ब्यौरे और उस पर की गयी कार्यवाही की निगरानी की प्रत्येक माह की आवधिक अनुपालन रिपोर्ट को प्रकाशित करेगा।

(4) The Ministry may call for such additional information from the publisher as it may consider necessary for the implementation of this Rule.

MISCELLANEOUS

DISCLOSURE OF INFORMATION

(1) A publisher and a self-regulating body, shall make true and full disclosure of all grievances received by it, the manner in which the grievances are disposed of, the action taken on the grievance, the reply sent to the complainant, the orders or directions received by it under these rules and action taken on such orders or directions.

(2) The information referred to in sub-rule (1) shall be displayed publicly and updated monthly.

(3) Subject to any law for the time being in force, the publisher shall preserve records of content transmitted by it for a minimum period of sixty days and make it available to the self-regulating body or the Central Government, or any other Government agency, as may be requisitioned by them for implementation of these rules.

CODE OF ETHICS

NEWS AND CURRENT AFFAIRS:

(i) Norms of Journalistic Conduct of the Press Council of India under the Press Council Act, 1978;

(ii) Programme Code under section 5 of the Cable Television Networks Regulation) Act, 1995;

(iii) Content which is prohibited under any law for the time being in force shall not be published or transmitted.

ONLINE CURATED CONTENT:

(A) General Principles:

(a) A publisher shall not transmit or publish or exhibit any content which is prohibited under any law for the time being in force or has been prohibited by any court of competent jurisdiction.

(b) A publisher shall take into consideration the following factors, when deciding to feature or transmit or publish or exhibit any content, after duly considering the implications of any content as falling under the following categories, and shall

(4) मंत्रालय का प्रकाशक से ऐसे अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा जो वह इस भाग के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

प्रकीर्ण

सूचना का प्रकटन–

(1) कोई प्रकाशक या स्वतः विनियामक निकाय, उसके द्वारा प्राप्त की गयी सभी शिकायतों का उस रीति का जिसमें ऐसी शिकायतों का निपटान किया गया है, शिकायत पर की गयी कार्रवाई का, शिकायतकर्ता को दिये गये प्रत्युत्तर का, इन नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये आदेशों या निर्देशों का और ऐसे आदेशों या निदेशों पर की गयी कार्रवाई का सही और पूर्ण प्रकटन करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जायेगा और उसको प्रत्येक अद्यतन किया जायेगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए, प्रकाशक उसके द्वारा पारेषित अंतर्वस्तु के अभिलेख कम से कम साठ दिन की अवधि के लिए परिरक्षित करेगा और उसे नियमों के क्रिान्वयन के लिए स्वतः विनियामक निकाय या केंद्रीय सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी अभिकरण को जब भी उनके द्वारा अध्यपेक्षित हो, उपलब्ध करायेगा।

आचार संहिता

समाचार और करंट अफेयर्स

(i) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अधीन भारतीय प्रेस परिषद् के पत्रकारिता संचालन के सन्नियम

(ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के अधीन कार्यक्रम संहिता

(iii) ऐसी अंतर्वस्तु, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिसिद्ध है, का प्रकाशन या पारेषण नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तुः

(अ) सामान्य सिद्धांतः

(क) कोई प्रकाशक किसी अंतर्वस्तु का पारेषण या प्रकाशन या प्रदर्शन नहीं करेगा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है या किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है।

(ख) कोई प्रकाशक निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन आने वाली अंतर्वस्तु की विवक्षाओं पर सम्यकतः विचार करने के पश्चात् किसी अंतर्वस्तु के चित्रण या पारेषण या प्रकाशन या प्रदर्शन करने का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारकों पर

exercise due caution and discretion in relation to the same, namely:—

(i) content which affects the sovereignty and integrity of India;

(ii) content which threatens, endangers or jeopardises the security of the State;

(iii) content which is detrimental to India's friendly relations with foreign countries;

(iv) content which is likely to incite violence or disturb the maintenance of public order.

(c) A publisher shall take into consideration India's multi-racial and multi-religious context and exercise due caution and discretion when featuring the activities, beliefs, practices, or views of any racial or religious group.

(B) Content Classification:

(i) All content transmitted or published or exhibited by a publisher of online curated content shall be classified, based on the nature and type of content, into the following rating categories, namely:—

(a) Online curated content which is suitable for children as well as people of all ages shall be classified as "U" rating;

(b) Online curated content which is suitable for persons aged 7 years and above, and can be viewed by a person under the age of 7 years with parental guidance, shall be classified as "U/A 7+" rating;

(c) Online curated content which is suitable for persons aged 13 years and above, and can be viewed by a person under the age of 13 years with parental guidance, shall be classified as "U/A 13+" rating;

(d) Online curated content which is suitable for persons aged 16 years and above, and can be viewed by a person under the age of 16 years with parental guidance, shall be classified as "U/A 16+" rating; and

(e) Online curated content which is restricted to adults shall be classified as "A" rating.

(ii) The Content may be classified on the basis of.—i) Themes and messages; ii) Violence; iii)

विचार करेगा और उनके संबंध में सम्यकतः सावधानी और स्वःविवेक का प्रयोग करेगा, अर्थात्ः

(i) ऐसी अंतर्वस्तु जो भारत की संप्रभुत्ता और अखंडता को प्रभावित करती है

(ii) ऐसी अंतर्वस्तु जो राज्य की सुरक्षा को चुनौती देती है, खतरे में डालती है या जोखिम में डालती है

(iii) ऐसी अंतर्वस्तु जो भारत के दूसरे देशों के साथ मित्रता के संबंधों के लिए हानिकर है।

(iv) ऐसी अंतर्वस्तु जिसमें हिंसा भड़काने या लोक व्यवस्था को बनाये रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।

(ग) प्रकाशक किन्हीं कार्यकलापों, विश्वासों, पद्धतियों या किन्हीं जातिय या धार्मिक समूह के विचारों का चित्रण करते हुए भारत के बहु जातिय और बहु धार्मिक परिप्रेक्ष्य को विचार में लेगा और सम्यक सावधानी रखेगा।

(आ) अंतर्वस्तु वर्गीकरणः

(i) किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के प्रकाशक द्वारा पारेषित या प्रकाशित या प्रदर्शित सभी अंतर्वस्तु का निम्नलिखित रेटिंग प्रवर्गो में अंतर्वस्तु की कोटि और प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जायेगा, अर्थात्ः-

(क) ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो बालकों के साथ सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, को 'यू' के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(ख) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो **7** वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको **7** वर्ष से कम आयय के व्यक्ति द्वारा माता पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है, को 'यू/ए **7** प्लस' रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(ग) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो **13** वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको **13** वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदशडन के अधीन देखा जा सकता है, को 'यू/ए **13** प्लस' रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(घ) ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो **16** वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको **16** वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है, को 'यू/ए **16**प्लस' रेटिंग के रूप में वगीकृत किया जायेगा, और

(ड) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु जो केवल व्यस्कों तक निर्बंधित है को 'ए' रेटिंग के रूप में वगीकृत किया जायेगा।

(ii) अंतर्वस्तु को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय

Nudity; iv) Sex; v) Language; vi) Drug and substance abuse; and (vii) Horror as described in the Schedule, as may be modified from time to time by the Ministry of Information & Broadcasting.

(C) Display of Classification:

(a) The publisher of online curated content shall prominently display the classification rating specific to each content or programme together with a content descriptor informing the user about the nature of the content, and advising on viewer discretion (if applicable) at the beginning of every programme enabling the user to make an informed decision, prior to watching the programme.

(b) The publisher of online curated content making available content that is classified as U/A 13+ or higher shall ensure that access control mechanisms, including parental locks, are made available for such content.

(c) A publisher of online curated content which makes available content or programme that is classified as "A" shall implement a reliable age verification mechanism for viewership of such content.

(d) A publisher of online curated content must strive to include classification rating and consumer advice for their programmes in any print, televised or online promotional or publicity material and prominently display the classification rating specific to each such content.

(D) Restriction of access to certain curated content by a child:

Every publisher of online curated content providing access to online curated content which has an "A" rating shall take all efforts to restrict access to such content by a child through the implementation of appropriate access control measures.

(E) Measures to improve accessibility of online curated content by persons with disabilities:

Every publisher of online curated content shall, to the extent feasible, take reasonable efforts to improve the accessibility of online curated content transmitted by it to persons with disabilities through the implementation of appropriate access services.

पर यथाउपांतरित अनुसूची में यथावर्णितः (1) थीम और संदेश, (2) हिंसा (3) नग्नता (4) सेक्स (5) भाषा (6) ड्रग्स और पदार्थो का दुरूपयोग और (7) भयोत्पादक, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकेगा।

(इ) वर्गीकरण का प्रदर्शन ः

(क) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक प्रमुख रूप से प्रत्येक अंतर्वस्तु या कार्यक्रम की विशिष्ट वर्गीकरण रेटिंग अंतर्वस्तु विवरणकर्ता के साथ उपयोक्ता को अंतर्वस्तु की प्रकृति के विषय में सूचित करते हुए प्रदर्शित करेगा और दर्शक को प्रत्येक कार्यक्रम के प्रारंभ में (यदि लागू हो) दर्शक विवरण का परामर्श देगा, जिससे उपयोक्ता कार्यक्रम को देखने से पूर्व एक संसूचित विनिश्चय करने में समर्थ हो सके।

(ख) किसी ऐसी अंतर्वस्तु को जिसे यू/ए 13 प्लस या उच्चतर ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक के रूपों में वर्गीकृत किया गया है, को उपलब्ध कराने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि पेरेंटल लॉक सहित पहुंच नियंत्रण तंत्र ऐसी अंतर्वस्तु के लिए उपलब्ध हो।

(ग) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक, जो ऐसी अंतर्वस्तु या कार्यक्रम को उपलब्ध कराता है, जिसे 'ए' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसी अंतर्वस्तु को देखे जाने के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र का कार्यान्वयन करेगा।

(घ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के प्रकाशक को किसी प्रिंट टेलीवाइज्ड या ऑनलाइन संवर्धन या प्रचार सामग्री में अपने कार्यक्रमों के लिए वर्गीकरण रेटिंग और उपभोक्ता सलाह को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी प्रत्येक अंतर्वस्तु के प्रति विनिर्दिष्ट रेटिंग को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(ई) किसी बालक द्वारा कतिपाय क्यूरेटेड अंर्वस्तु तक पहुंच का प्रतिबंधः

ऐसी ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतवस्तु जिसमें 'ए' रेटिंग दी गयी है, तक पहुंच प्रदान करने वाला प्रत्येक प्रकाशक, समुचित पहुंच नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से किसी बालक द्वारा ऐसी अंतर्वस्तु तक पहुंच को निर्बधित करने के साभी प्रयास करेगा।

(उ) दिव्यांगजन द्वारा आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक पहुंच में सुधार करने के लिए उपायः

आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रत्येक ऐसा प्रकाशक, साध्य सीमा तक, समुचित पहुंच सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से उसके द्वारा पारेषित आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक दिव्यांगजन की पहुंच में सुधार करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

SCHEDULE

Classification of any curated content shall be guided by the following sets of guidelines, namely:—

GENERAL GUIDELINES FOR CLASSIFICATION OF FILMS AND OTHER ENTERTAINMENT PROGRAMMES, INCLUDING WEB BASED SERIALS

There are general factors that may influence a classification decision at any level and in connection with any issue and the following factors are elucidated which may be read along with Part II of the Guidelines -

(a) Context:

Curated content may be considered in the light of the period depicted in such content and the contemporary standards of the country and the people to which such content relates. Therefore, the context in which an issue is presented within a film or video may be given consideration. Factors such as the setting of a work (historical, fantasy, realistic, contemporary etc.), the manner of presentation of the content, the apparent intention of the content, the original production date of the content, and any special merits of the work may influence the classification decision.

(b) Theme:

Classification decisions may take into the theme of any content but will depend significantly on the treatment of that theme, especially the sensitivity of its presentation. The most challenging themes (for example, drug misuse, violence, pedophilia, sex, racial or communal hatred or violence etc.) are unlikely to be appropriate at the junior levels of classification.

अनुसूची

किसी क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के वर्गीकरण का मार्गदर्शक सिद्धांतों के निम्नलिखित सेटों द्वारा मार्गदर्शन किया जायेगा, अर्थात्ः

फिल्मों के वर्गीकरण और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत वेब आधारित धारावाहिक भी है, के लिए साधारण मार्गदर्शक सिद्धांत

ऐसे साधारण कारक हैं, जो किसी भी स्तर पर और किसी विषय के संबंध में वर्गीरण को प्रभावित कर सकते हैं, निम्नलिखित कारकों की व्याख्या की गयी है, जिन्हें मार्गदर्शक सिद्धांतों के भाग **2** के साथ पढ़ा जाएः–

(क) संदर्भः

क्यूरेटेड अंतर्वस्तु पर ऐसी अंतर्वस्तु में वर्णित अवधि और देश के समकालीन मानकों और ऐसे लोगों, जिनमें ऐसी अंतर्वस्तु संबंधित है, को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकेगा। अतः वह संदर्भ जिसमें किसी विषय को किसी फिल्म या वीडियो के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, पर विचार किया जायेगा। कृति की सेटिंग (ऐतिहासिक, स्वैर कल्पना, वास्तविक, समकालीन आदि) अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने की रीति, अंतर्वस्तु का स्पष्ट आशय, अंतर्वस्तु की मूल प्रस्तुति की तारीख जैसे कारक और कृति के कोई विशेष गुण वर्गीकरण विनिश्चिय को प्रभावित कर सकते हैं।

(ख) थीमः

वर्गीकरण विनिश्चयों में किसी अंतर्वस्तु की थीम पर विचार किया जा सकेगा, किंतु यह मुख्यतः उस थीम की व्याख्या, विशेष रूप से उसकी प्रस्तुति की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा। अति चुनौतीपूर्ण थीम (उदाहरणार्थ, ड्रग दुरूपयोग, हिंसा, पेडोफिलिया, लिंग, जातियां या साम्प्रदायिक घृणा या हिंसा आदि) वर्गीकरण के कनिष्ठ स्तरों पर उचित नहीं हो सकते।

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

- In-depth & Unbiased Market Information
- Technology Breakthroughs
- Comprehensive Circulation Across The Satellite & Cable TV Industry

... You Know What You Are Doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

SATELLITE & Cable TV

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: scat.sales@nm-india.com

(c) Tone and impact:

Curated content may be judged in its entirety from the point of view of its overall impact. The tone of content can be an important factor in deciding the influence it may have on various groups of people. Thus, films/serials that have a stronger depiction of violence may receive a higher classification.

(d) Target audience:

The classification of any content may also depend upon the target audience of the work and the impact of the work on such audience.

ISSUE RELATED GUIDELINES

This part of the guidelines comprises the issues and concerns that apply in varying degrees to all categories of classification and elaborates the general approach that may be taken in this regard to the same. These concerns are listed in alphabetical order, and are to be read with the four General Guidelines listed above:

(a) Discrimination:

The categorical classification of content shall take into account the impact of a film on matters such as caste, race, gender, religion, disability or sexuality that may arise in a wide range of works, and the classification decision will take account of the strength or impact of their inclusion.

(b) Psychotropic substances, liquor, smoking and tobacco:

Films or serials, etc. that as a whole portray misuse of psychotropic substances, liquor, smoking and tobacco would qualify for a higher category of classification.

(c) Imitable behaviour:

(1) Classification decisions may take into account any portrayal of criminal and violent behaviour with weapons.

(2) Portrayal of potentially dangerous behaviour that are likely to incite the commission of any offence (including suicide, and infliction of self-harm) and that children and young people may potentially copy, shall receive a higher classification.

(3) Films or serials with song and dance scenes comprising lyrics and gestures that have sexual innuendos would receive a higher classification.

(ग) सुर और प्रभावः

क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का उसके संपूर्ण प्रभाव के दृष्टिकोण से, उसकी समग्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। अंतर्वस्तु का सुर उस प्रभाव का विनिश्चय करने में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जिसका प्रभाव विभिन्न वर्गों के लोगों पर हो। अतः ऐसी फिल्म/धारावाहिक जिनमें हिंसा का अधिक प्रबल चित्रण किया गया है, को उच्चतर वर्गीकृत किया जा सकेगा।

(घ) लक्षित दर्शकगणः

किसी अंतर्वस्तु का वर्गीकरण कृति के लक्षित दर्शकों पर और ऐसे दर्शकों पर कृति के प्रभाव पर भी निर्भर करता है।

मुद्दों से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों

मार्गदर्शक सिद्धांतों के इस खंड में ऐसे मुद्दे और अंतर्वस्तु सम्मिलित हैं जो वर्गीकरण के सभी प्रवर्गों पर परिवर्ती डिग्रियों में लागू होंगे और साधारण पहुंच को, जो उसके संबंध में ली जा सकती है, विस्तृत करेंगे। अंतर्वस्तु को वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा और उपरोक्त भाग 1 में सूचीबद्ध चार साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ पढ़ा जायेगा।

(क) विभेदः

अंवर्वस्तु के सुस्पष्ट वर्गीकरण में ऐसे मामलों जैसे कि जाति, मूल वंश, लिंग, धर्म, दिव्यांगता या लैंगिकता जो कृति की वृहद परास से उदभूत होते हैं पर फिल्म के प्रभाव को और वर्गीकरण विनिश्चय में उनके समावेशन की शक्ति और प्रभाव को हिसाब में लिया जायेगा।

(ख) मनः प्रभावी पदार्थ, शराब, धूम्रपान और तंबाकूः

फिल्म/धारावाहिक, आदि अभिनय के रूप में मनः प्रभावी पदार्थ, शराब, धूम्रपान और तंबाकू का पूर्ण रूप से दुरूपयोग करते हैं वे वर्गीकरण के उच्चतम प्रवर्ग के लिए अर्हक होंगे।

(ग) अनुकरणीय व्यवहारः

(1) वर्गीकरण विनिश्चय में किसी आपराधिक अभिनय और हथियारों के साथ हिंसक व्यवहार को हिसाब में लिया जा सकेगा।

(2) संभवतः खतरनाक व्यवहार का अभिनय, जिससे किसी अपराध (जिसके अंतर्गत आत्महत्या और स्वयं क्षति की पीड़ा भी है) का उत्प्रेरण संभाव्य है और जिसकी बालक और युवा वर्ग संभवतः नकल करेगा, उसे उच्चतर वगीकृत किया जायेगा।

(3) फिल्म/धारावाहिक, जिनमें ऐसे प्रगीत और भाव भंगीमा के साथ गाने और नृत्य हैं, जिनमें लैंगिक व्यंग्य है, को उच्चतर वर्गीकृत किया जायेगा।

(d) Language:

(1) Language is of particular importance, given the vast linguistic diversity of our country. The use of language, dialect, idioms and euphemisms vary from region to region and are culturespecific. This factor has to be taken into account during the process of classification of a work in a particular category.

(2) Language that people may find offensive includes the use of expletives. The extent of offence may vary according to age, gender, race, background, beliefs and expectations of the target audience from the work as well as the context, region and language in which the word, expression or gesture is used.

(3) It is not possible to set out a comprehensive list of words, expressions or gestures that are acceptable at each category in every Indian language. The advice at different classification levels, therefore, provides general guidance to consider while judging the level of classification for content, based on this guideline.

(e) Nudity:

(1) No content that is prohibited by law at the time being in force can be published or transmitted.

(2) Nudity with a sexual context will receive a higher classification of "A".

(f) Sex:

No content that is prohibited by law at the time being in force can be published or transmitted. The classification of content in various ratings from U/A 16+ to "A" shall depend upon the portrayal of non-explicit (implicit) to explicit depiction of sexual behaviour.

(g) Violence:

Classification decisions shall take account of the degree and nature of violence in a work. ■

(घ) भाषाः

(1) हमारे देश में निहित भाषायी अनेकता में भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है। भाषा, बोली, मुहावरा और प्रियोक्ती, क्षेत्रवार और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। इस कारक को विशिष्ट प्रवर्ग में कृति के वर्गीकरण की प्रक्रिया के दौरान हिसाब में लिया जाना चाहिए।

(2) भाषा, जिसे लोग घृणास्पद पाये, में अपशब्दों का प्रयोग सम्मिलित है। अपराध का विस्तार, आयु, लिंग, मूलवंश, पृष्ठभूमि, विश्वास के अनुसार और लक्षित दर्शकों की कृति से अपेक्षाओं के साथ-साथ वह संदर्भ, धर्म और भाषा, जिसमें शब्द, पद और भाव भंगीमा प्रयुक्त की जाती है, के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकेगा।

(3) शब्दों, पदों, भाव भंगीमाओं जो प्रत्येक भारतीय भाषा के प्रत्येक प्रवर्ग में स्वीकार्य है की व्यापक सूची तैयार करना संभव नहीं है। इसलिए विभिन्न वर्गीकरण स्तरों पर सलाह इस मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित अंतर्वस्तु के लिए वर्गीकरण के स्तर का निर्णय करते समय साधारण मार्गदर्शन का उपबंध करती है।

(ङ) नग्नताः

(1) ऐसी कोई अंतर्वस्तु, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, प्रकाशित/पारेषित नहीं की जा सकेगी।

(2) लैंगिक संदर्भ के साथ नग्नता को ए के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(च) सेक्सः

ऐसी कोई अंतर्वस्तु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है, प्रकाशित/पारेषित नहीं की जा सकेगी। अंतर्वस्तु को यू/ए 16 प्लस से 'ए' विभिन्न रेटिंग में वर्गीकृत किया जायेगा, जो कामुक व्यवहार के अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष चित्रण के अभिनय पर निर्भर करेगा।

(छ) हिंसाः

वर्गीकरण विनिश्चय में कृति में हिंसा की डिग्री और प्रकृति को हिसाब में लिया जायेगा। ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

SATELLITE & Cable TV
MAGAZINE

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact:
Mob.: +91-7021850198
Tel.: +91-22-6216 5313
Email: scat.sales@nm-india.com

SATELLITE BROADBAND BIZ OUTLOOK

The Govt is all set to notify the new Spacecom Policy which will propel business for the satellite broadband section. An overview of the satellite market report which has been compiled from the 2-day conference session hosted by SIA India.

The Indian space economy is valued at USD 7 billion, which is around 2% of the global space economy. Of this, upstream activities contribute USD 2.3 billion and downstream activities contribute USD 4.7 billion. India has a notable contribution in the DS sector, around 92% business come from applications, where as the upstream activities have not been evolved as much.

The exploitation of space is not just for economic development, but also to strategically strengthen India's position as a critical stakeholder in the international arena. India needs a Commercial Space Law that is bold and facilitating.

There is a large-scale market opportunity for private players in both the upstream and downstream sectors to engage in the manufacturing design and development of high tech spacecrafts which would inadvertently help in proliferation of the downstream applications. Another trend to look for is low cost small satellites that are transforming the dynamics and economics of the space industry and this sector too has immense scope.

Investors are now looking at space sector as a viable investment opportunity— thanks to a number of factors, including the Indian government's move to open up the spacetech sector to include private players, as many as 7 policy documents have come up in last one year, low cost satellites, quantum tech, market demand

सैटेलाइट ब्रॉडबैंड व्यापार दृष्टिकोण

सरकार नयी स्पेसकॉम नीति को अधिसूचित करने के लिए पूरी तरह तैयार है जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड खंड के लिए कारोबार को बढ़ावा देगी। एसआईए इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन सत्र से संकलित सैटेलाइट बाजार रिपोर्ट पर एक नजर

भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2% है। इसमें से अपस्ट्रीम गतिविधियों का योगदान 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों का योगदान 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। डीएस क्षेत्र में भारत का उल्लेखनीय योगदान है जिसमें लगभग 92% व्यवसाय आवेदनों से आता है, जबकि अपस्ट्रीम गतिविधियों को उतना विकसित नहीं किया गया है।

अंतरिक्ष का दोहन सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में भारत की स्थिति को रणनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए भी है। भारत को ऐसे वाणिज्यिक अंतरिक्ष कानून की जरूरत है जो साहसिक और सुगम है।

अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों के लिए उच्च तकनीकी वाले अंतरिक्ष यान के निर्माण और विकास में संलग्न होने के लिए बड़े पैमाने पर बाजार का अवसर है जो अनजाने में डाउनस्ट्रीम आवेदनों के प्रसार में मदद करेगा। इसी तरह एक और रूख जो देखने के लिए मिल रहा है वह है कम लागत वाले छोटे सैटेलाइट जो अंतरिक्ष उद्योग की गतिशीलता और अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं और इस क्षेत्र में भी काफी गुंजाइश है।

निवेशक अब अंतरिक्ष क्षेत्र को एक व्यवहार्य निवेश अवसर के रूप में देख रहे हैं, निजी खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए स्पेसटेक क्षेत्र को खोलने के लिए भारत सरकार के कदम सहित कई कारकों के लिए धन्यवाद, पिछले एक साल में 7 नीति दस्तावेज सामने आये हैं, कम

for geospatial data, and many technological advancements in the space sector.

The Satcom Industry Association of India (SIA-India) had organised a 2 day virtual conference 'SatCom Emerging trends: Post reform era' on the emerging Satellite business in India on August 4th & 5th, 2021.

The virtual event saw the leading luminaries and eminent speakers discussing the future role of Satellite industry especially in the context of India. Supported by ISRO the objective of this conference was to provide a platform to various stakeholders to come together and address the critical issues and challenges faced by the Satellite industry.

Some key highlights of this two-day conference is summarised below:

- In a country with 57% rural India still being unconnected, Satellites will play a pivotal role in bridging the digital divide.
- India's satellite industry, which currently has a less than 5 per cent share of global space economy, can be a new frontier for national growth with the potential of cornering about 10 percent of the pie worth approximately $ 50 billion in 10 years' time. This goal could also hugely benefit Indian PM Narendra Modi's dream of a true 'Digital India'.
- Around 500 firms which are engaged in directly or indirectly with space technologies will be benefited with these reforms.
- But, for this to happen, several regulatory challenges need to be removed with policy tweaks done that would make the regulatory regime industry and investor friendly, including foreign investment.
- Indian government needs to work with the industry very closely in making this goal a reality. This would need a direct engagement, open market access, allowing competition to drive down prices of satellite bandwidth and subsequent services offered, easing

लागत वाले सैटेलाइट, क्वांटम तकनीकी, भू-स्थानिक डेटा के लिए बाजार की मांग और अंतरिक्ष क्षेत्र में कई तकनीकी प्रगति।

सैटकॉम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसआईए-इंडिया) ने 4 और 5 अगस्त 2021 को भारत में उभरते सैटेलाइट व्यवसाय पर 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन 'सैटकॉम इमर्जिंग ट्रेंड्सः पोस्ट रिफॉर्म एरा' का आयोजन किया था।

वर्चुअल आयोजन में प्रमुख दिग्गजों और वक्ताओं ने विशेष रूप से भारत के संदर्भ में सैटेलाइट उद्योग की भविष्य की भूमिका पर चर्चा की। इसरो द्वारा समर्थित इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को एक साथ आने और सैटेलाइट उद्योग के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करना था।

इस दो दिवसीय सम्मेलन के कुछ मुख्य अंश नीचे संक्षेप में दिये गये हैंः

- ऐसे देश में जहां 57% ग्रामीण भारत अभी भी असंबद्ध है, सैटेलाइट डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
- भारत का सैटेलाइट उद्योग, जिसके पास वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 5 प्रतिशत से कम हिस्सा है, राष्ट्रीय विकास के लिए एक नया मोर्चा हो सकता है, जिसमें 10 वर्षों में लगभग 50 बिलियन डॉलर मूल्य के हिस्से के लगभग 10 प्रतिशत पर कब्जा करने की क्षमता है। यह लक्ष्य भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के सच्चे 'डिजिटल इंडिया' के सपने को भी काफी हद लाभांवित कर सकता है।
- लगभग 500 कंपनियों जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरिक्ष तकनीकियों से जुड़ी है, इन सुधारों से लाभांवित होंगी।
- लेकिन, ऐसा होने के लिए कई नियामक चुनौतियों को दूर करने की जरूरत है जो नीतिगत बदलावों के लिए किये गये हैं जो कि नियामक शासन उद्योग और विदेशी निवेश सहित निवेशक के अनुकूल होंगे।
- इस लक्ष्य को साकार करने के लिए भारत सरकार को उद्योग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए सीधे जुड़ाव खुले बाजार तक पहुंच सैटेलाइट बैंडविड्थ की कीमतों को कम करने और बाद में दी जाने वाली सेवाओं, समय लेने वाली लाइसेंसिंग

of time consuming licensing regime and rationalization of tax layers. There were some of the changes that the satellite and spacecom industry would highly appreciate, if the Government of India works on these critical issues.

- The new wave of reforms is expected to unleash further opportunities. Some of the key areas to focus include allowing Ka band, NGSO access, opening of BSS spectrum and liberalizing Indian satellite systems. Newer software-based payloads and technologies expected in geostationary orbit satellites in the near future, resulting in more flexibility of the satellites.
- Satcom expected to be the most viable solution technically and financially in the development of 5G network in India. Spectrum allocation is expected to play a major role in India's road to being a digital giant globally. However, spectrum sharing is strongly recommended - 5G should be allocated the 26GHz spectrum and 28GHz should be provided for satellite communication to keep the best of both worlds
- There is need to enable the right technology (GEO/ NGSO/Terrestrial) for the right applications without creating artificial regulatory barriers
- Making a case for use of satellite to also provide broadband to augment the underserved Indian rural market specifically, cellular, Wi-Fi and satellite were all complementary services — all of them had the same goal of reaching broadband to the Indian masses.
- All access technologies, including satellite, mobile, wi-fi and fibre, come with their unique advantages to fulfil national connectivity requirements
- Satellites also bring cheaper access to rural and remote areas for projects like BharatNet against alternate technologies like IMT and fibre.
- TV penetration in India is about 70 percent and the consumers are empowered with this. DTH is certainly growing and giving more power to the users. Cable TV, supported by linear TV, is also there and Satellite has played an integral role in this as well. Sports and weather reports are contributed via satellites. While, Linear TV is here to stay, OTT brings the anywhere TV concept. Both will co-exist in the future. The need will be served by Satellites in the future.

व्यवस्था को आसान बनाने और टैक्स लेयरों के युक्तिकरण की आवश्यकता होगी। यदि भारत सरकार इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करती है तो कुछ बदलाव ऐसे थे जिनकी सैटेलाइट और स्पेसकॉम उद्योग अत्यधिक सराहना करेंगे।

- सुधारों की नयी लहर से और अवसर मिलने की उम्मीद है। ध्यान केंद्रित करने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों में का बैंड, एनजीएसओ एक्सेस, बीएसएस स्पेक्ट्रम को खोलना और भारतीय सैटेलाइट प्रणालियों को उदार बनाना शामिल है। निकट भविष्य में जियोस्टेशनरी कक्षा सैटेलाइटों में नये सॉफ्टवेयर आधारित पेलोड और तकनीकियां अपेक्षित है जिसके परिणामस्वरूप सैटेलाइटों में अधिक लचीलापन आता है।
- सैटकॉम को भारत में 5जी नेटवर्क के विकास में तकनीकी और वित्तीय रूप से सबसे व्यवहार्य समाधान होने की उम्मीद है। वैश्विकस्तर पर डिजिटल दिग्गज बनने के लिए भारत की राह में स्पेक्ट्रम आवंटन एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। हालांकि स्पेक्ट्रम साझा करने की जोरदार सिफारिश की जाती है–5जी को 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना चाहिए और 28 गीगाहर्ट्ज को सैटेलाइट संचार के लिए प्रदान किया जाना चाहिए ताकि दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को बनाये रखा जा सके।
- कृत्रिम नियामक बाधाओं को पैदा किये बिना सही आवेदनों के लिए सही तकनीक (जीईओ/एनजीएसओ/टेरेस्ट्रियल) को सक्षम करने की आवश्यकता है।
- भारतीय ग्रामीण बाजार में विशेष रूप से सेलुलर, वाईफाई और सैटेलाइट को बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए सैटेलाइट के उपयोग के लिए मामला बनाना, सभी पूरक सेवायें थीं–उन सभी को भारतीय जनता तक ब्रॉडबैंड तक पहुंचने का एक ही लक्ष्य था।
- सैटेलाइट, मोबाइल, वाई–फाई और फाइबर सहित सभी एक्सेस तकनीकियों राष्ट्रीय कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने अद्वितीय लाभों के साथ आती है।
- आईएमटी और फाइबर जैसी वैकल्पिक तकनीकों के मुकाबले भारतनेट जैसी परियोजनाओं के लिए सैटेलाइट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती पहुंच भी लाते हैं।
- भारत में टीवी की पैठ लगभग 70 प्रतिशत है और उपभोक्ता इससे सशक्त है। डीटीएच निश्चित रूप से बढ़ रहा है और उपयोगकर्ताओं को अधिक शक्ति प्रदान कर रहा है। लीनियर टीवी द्वारा समर्थित केवल टीवी भी है और सैटेलाइट ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभायी है। खेल और मौसम की रिपोर्ट सैटेलाइटों के माध्यम से दी जाती है। जबकि, लीनियर टीवी यहां रहने के लिए है, ओटीटी कहीं भी टीवी अवधारणा लाता है। दोनों भविष्य में सह–अस्तित्व में रहेंगे। भविष्य में सैटेलाइट द्वारा आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी।

- India should follow the FCC example, avoid the ITU rule and it should encourage the Make in India approach for satellites, launch vehicles and ground terminals. India should focus more on developing systems which are not expensive.
- The key lessons for India from Global case studies are:
  - Satellite can provide great connectivity to economically disadvantaged communities and India needs to use Satellites to achieve mass rural penetration. Satellite operators also need to be able to access universal service funds.
  - Need to involve Private Sector to participate in this Industry for this to grow much faster than what has been done so far.
  - Need to have a consistent, stable regulatory regime to attract multi-billion dollar investments from the private sector.
- Many speakers emphasized on the larger participation of private and global players in this field to fulfil the need and demand for Satcom Industry's overall growth in India.
- Financing the capacity expansion of the space sector in addition to liberalisation and reduction of bureaucracy are key elements to the growth of the Indian space sector
- Space industry is asset heavy, hence understanding the market demand will be a prerequisite for any kind of capacity building in the industry post liberalisation
- Industry collaboration with the government to develop new strategies w.r.t ownership, revenue sharing etc. could play a key role in the growth of the sector
- Latency of GEO satellites are not going to be enough for low latency and ultra-low latency. With many players setting up LEOs, low latency can be provided. In India, we have taken highly-enabling provisions. Along with spacecom policy, there will be remote sensing policy using space infrastructure. It will provide opportunities to develop specific apps in a highly innovative manner.
- Satcom Industry Association India to launch its first Portal to facilitate interface for Space Start up Industry And Government. ■

- भारत को एफसीसी उदाहरण का पालन करना चाहिए, आईटीयू नियम से बचना चाहिए और इसे सैटेलाइटों, प्रक्षेपण वाहनों और जमीनी टर्मिनलों के लिए मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत को विकासशील प्रणालियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो महंगी नहीं है।
- वैश्विक केस स्टडी से भारत के लिए प्रमुख सबक हैः
  - सैटेलाइट आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है और भारत बड़े पैमाने पर ग्रामीण पहुंच प्राप्त करने के लिए हासिल करने के लिए सैटेलाइटों का उपयोग करने की आवश्यकता है। सैटेलाइट ऑपरेटरों को भी यूनिवर्सल सर्विस फंड तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।
  - इस उद्योग में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि यह अब तक किये गये कार्यो की तुलना में बहुत तेजी से बढ़े।
  - निजी क्षेत्र से बहु–अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक सुसंगत, स्थिर नियामक व्यवस्था की आवश्यकता है।
- कई वक्ताओं ने भारत में सैटकॉम उद्योग के समग्र विकास की आवश्यकता और मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में निजी और वैश्विक कंपनियों की बड़ी भागीदारी पर जोर दिया।
- उदारीकरण और नौकरशाही में कमी के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता का विस्तार को वित्तपोषित करना भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास का प्रमुख तत्व है।
- अंतरिक्ष उद्योग भारी संपत्ति है, इसलिए उदारीकरण के बाद उद्योग में किसी भी प्रकार की क्षमता निर्माण के लिए बाजार की मांग को समझना एक पूर्वपेक्षा होगी।
- स्वामित्व, राजस्व बंटवारे आदि के संबंध में नयी रणनीति विकसित करने के लिए सरकार के साथ उद्योग सहयोग इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- लो लेटेंसी और अल्ट्रा लो लेटेंसी के लिए जीईओ सैटेलाइटों की लेटेंसी पर्याप्त नहीं होगी। एलईओ की स्थापना करने वाले कई कंपनियों के साथ लो लेटेंसी प्रदान की जा सकती है। भारत में हमने अत्यधिक सक्षम प्रावधान किये हैं। स्पेसकॉम पॉलिसी के साथ–साथ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रिमोट सेंसिंग पॉलिसी भी होगी। यह विशिष्ट ऐप्स को अत्यधिक नवीन तरीके से विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा।
- सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया, स्पेस स्टार्टअप इंडस्ट्री और सरकार के लिए इंटरफेस की सुविधा के लिए अपना पहला पोर्टल लॉन्च करेगा। ■

GROWING THE OTT BIZ –THE KEY INGREDIENTS

OTT business has been booming and there are key ingredients which have made this possible and we look at how all these elements have made the surge in revenues possible.

Disney has seen a surge in revenues in the post pandemic period and recorded revenues to the tune of US$ 17.02 billion compared to US$ 11.02 billion last year.

Apart from India, Disney+ Hotstar is also present in Southeast Asian markets like Indonesia, Malaysia, and Singapore. The 46.4 million paid subscriber base also includes subscriber numbers from these markets.

Disney+ Hotstar contributed almost 1/3rd subscribers to Disney+'s overall base of 104 million in Q2. For the first quarter ending December 2020, the streaming platform had 28.47 million paid subscribers.

According to MPA's 'The Future of India's Online Video Market' report, D2C SVOD subs will grow to 193 million by 2026

Subscription Video on Demand (SVoD) services in India are expected to continue their growth momentum with total D2C SVOD subscribers expected to increase 1.6X to reach 89 million by end-2021, according to Media Partners Asia's (MPA) 'The Future of India's Online Video Market' report. MPA forecasts D2C SVOD subs will grow to 193 million by 2026.

It further stated that Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video and Netflix will have an 80% market share of subscribers and revenues by the end-2021. Disney+ Hotstar will continue to lead in paying customers with an estimated 46 million subs by the end-December 2021. Despite content supply bottlenecks new OTT SVOD subscriptions continue to remain strong, the report said.

Amazon Prime Video's subscriber base stood at 18 million in June 2021 and is projected to reach 21.8 million by December 2021. Netflix's subscriber base is expected to grow

ओटीटी व्यापार को बढ़ाना –प्रमुख सामग्री

ओटीटी व्यवसाय फलफूल रहा है और इसे संभव बनाने में कुछ महत्वपूर्ण तत्व का हाथ रहा है और हम देखते हैं कि इन सभी तत्वों ने राजस्व में वृद्धि को कैसे संभव बनाया है।

डिज्नी ने महामारी की बाद की अवधि में राजस्व में वृद्धि दर्ज की है और पिछले साल के **11.02** बिलियन डॉलर के मुकाबले **17.02** बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व दर्ज किया है।

भारत के अलावा डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में भी मौजूद है। इन बाजारों से ग्राहक संख्या में **46.4** मिलियन सशुल्क ग्राहक आधार भी शामिल है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने दूसरी तीमाही में डिज्नी प्लस के **104** मिलियन के कुल आधार में लगभग **1/3** ग्राहकों का योगदान दिया है। दिसंबर **2020** को समाप्त पहली तिमाही के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पास **28.47** मिलियन सशुल्क ग्राहक थे।

एमपीए की 'द फ्यूचर ऑफ इंडियाज ऑनलाइन वीडियो मार्केट रिपोर्ट' के अनुसार डी**2**सी एसवीओडी सब्सक्रीप्शन **2026** तक बढ़कर **193** मिलियन हो जायेगा।

मीडिया पार्टनर्स एशिया (एमपीए) 'द फ्यूचर ऑफ इंडियाज ऑनलाइन वीडियो मार्केट रिपोर्ट' के अनुसार भारत में सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड (एसवीओडी) सेवाओं के विकास की गति जारी रहने की उम्मीद है, कुल डी**2**सी एसवीओडी ग्राहकों के **2021** के अंत तक **1.6** गुना बढ़कर **89** मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। एमपीए का अनुमान है कि डी**2**सी एसवीओडी सब्सक्रीप्शन **2026** तक बढ़कर **193** मिलियन हो जायेगा।

इसने आगे कहा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स के पास **2021** के अंत तक ग्राहकों और राजस्व का **80%** हिस्सा होगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार दिसंबर **2021** के अंत तक अनुमानित **46** मिलियन सब्सक्रीप्शन के साथ भुगतान करने वाले ग्राहकों के मामले में नेतृत्व करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामग्री आपूर्ति बाधाओं के बावजूद नये ओटीटी एसवीओडी सब्सक्रीप्शन मजबूत हुए हैं।

जून **2021** में अमेजन प्राइम वीडियो का ग्राहक आधार **18** मिलियन था और दिसंबर **2021** तक इसके **21.8** मिलियन तक पहुंचने

from 4.6 million in June to 5.5 million in December. The report stated that more Indians subscribed to SVOD services through the pandemic than ever before with total subscribers reaching 57 million by 2020. The SVOD subscriber base registered a 2.5X growth in 2020 over 23.2 million subscribers in 2019.

Disney+ Hotstar, SonyLIV, ZEE5 and Voot are wooing advertisers with a plethora of advertising options at competitive. OTT advertising has evolved drastically in the last five years.

REGIONAL BANDWAGON DRIVES THE NUMBERS

Regional OTT platforms have driven the numbers with the surge in Maharashtra, Gujarat, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh-Telangana and Tamil Nadu.Leading the OTT bandwagon in the regional space are aha (Telugu), hoichoi (Bengali), Planet Marathi, Koode (Malayalam), and City Short TV (Gujarati), among others.

According to a FICCI-PwC report, the share of regional language consumption on OTT platforms will cross 50% of total time spent by 2025, easing past Hindi at 45%. It further stated that content costs will continue to increase as the overall quality benchmark rises to address the needs of a more aware audience, particularly across regional markets. ■

का अनुमान है। नेटफ्लिक्स का ग्राहक आधार जून में **4.6** मिलियन से बढ़कर दिसंबर में **5.5** मिलियन होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि **2020** तक कुल ग्राहकों की संख्या **57** मिलियन तक पहुंचने के साथ पहले से कहीं अधिक भारतीयों ने महामारी के माध्यम से एसवीओडी सेवाओं का सब्सक्रीप्शन लिया। एसवीओडी ग्राहक आधार ने **2019** में **23.3** मिलियन ग्राहकों के मुकाबले **2020** में **2.5**एक्स की बढ़ोतरी दर्ज की।

डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनीलिव, जी**5** और वूट विज्ञापनदाताओं को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से विज्ञापन विकल्पों के ढेरों के साथ आकर्षित कर रहे है। ओटीटी विज्ञापन पिछले पांच वर्षो में काफी विकसित हुआ है।

क्षेत्रीय ओटीटी ने संख्या में बढ़ोतरी की

क्षेत्रीय ओटीटी प्लेटफार्मो ने महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश–तेलंगाना और तमिलनाडु में वृद्धि के साथ संख्याओं को प्रेरित किया है। क्षेत्रीय खंड में जिन ओटीटी का बोलबाल रहा है वह हैं अहा (तेलुगू), होइचोई (बंग्ला), प्लैनेट मराठी, कूडे (मलयालम), सिटी शॉर्ट टीवी (गुजराती) व अन्य शामिल हैं।

फिक्की–पीडब्लूसी रिपोर्ट के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषा की खपत का हिस्सा **2025** तक खर्च किये गये कुल समय के **50%** को पार कर जायेगा, जो कि हिंदी के पूर्व में **45%** को पार कर जायेगा। इसने आगे कहा कि सामग्री की लागत में वृद्धि जारी रहेगी क्योंकि समग्र गुणवत्ता बेंचमार्क अधिक जागरूक दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, खासकर क्षेत्रीय बाजारों में। ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

SATELLITE & Cable TV
MAGAZINE

- In-depth & Unbiased Market Information
- Technology Breakthroughs
- Reaches More Than 40,000 Personnel Across The Satellite & Cable TV Industry every month

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact: Mob.: +91-7021850198 Tel.: +91-22-6216 5313 Email: scat.sales@nm-india.com

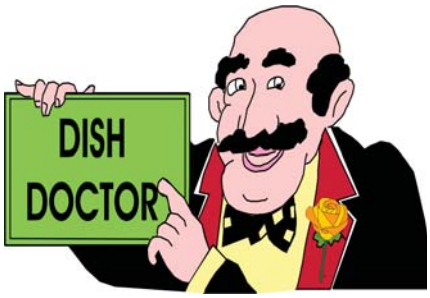

Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing,3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

SATELLITE COMMUNICATION

Q: What is satellite communication and the different modes of satellite communication? How is satellite communication going to impact broadband segment?

Krishnakant Mishra, Uttar Pradesh

Ans.: Satellite internet is wireless internet beamed down from satellites orbiting the Earth. It's a lot different from land-based internet services like cable or DSL, which transmit data through wires. ... There are a growing number of internet options for rural areas. The main components of a satellite consist of the communications system, which includes the antennas and transponders that receive and retransmit signals, the power system, which includes the solar panels that provide power, and the propulsion system, which includes the rockets that propel the satellite.

Satellite broadband is one of the best ways to bring fast internet access to rural homes. Satellite broadband works in a similar way to satellite TV. You have a dish attached to the outside of your house, pointing in a southerly direction..

Is satellite internet a good option?. Satellite broadband is expensive, limited and carries high latency. No matter where you are, no matter how remote, you can get broadband with a satellite ISP. Faster than some fixed-line broadband services. ... This means satellite is quicker than ADSL and can be faster than an entry-level fibre optic broadband service, which offers average speeds of around 35Mb

The average cost of a satellite internet plan in the US is about $100 per month. This is more than the average cost of a cable or fiber plan, which is about $50 per month. ■

सैटेलाइट संचार

प्रश्नः सैटेलाइट संचार क्या है और सैटेलाइट संचार के विभिन्न तरीके क्या हैं? सैटेलाइट संचार किस प्रकार से ब्रॉडबैंड खंड को प्रभावित करने वाला है?

कृष्णकांत मिश्रा, उत्तर प्रदेश

उत्तरः सैटेलाइट इंटरनेट वायरलेस इंटरनेट है जो पृथ्वी पर परिक्रमा करने वाले सैटेलाइटों से नीचे रहता है। यह केबल और डीएसएल जैसी भूमि आधारित इंटरनेट सेवाओं से बहुत अलग है, जो वॉयर के माध्यम से डेटा संचारित करती हैं...ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट विकल्पों की संख्या बढ़ रही है। किसी सैटेलाइट के मुख्य घटकों में संचार प्रणाली शामिल होती है, जिसमें एंटीना और ट्रांसपोंडर शामिल होता है जो सिगनल प्राप्त करने और उसे फिर से संचारित करता है, बिजली प्रणाली, जिसमें सौर पैनल शामिल होते हैं जो शक्ति प्रदान करते हैं और प्रणोदन प्रणाली, जिसमें रॉकेट शामिल होते हैं जो सैटेलाइट को आगे बढ़ाता है।

सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ग्रामीण घरों में तेजी से इंटरनेट की पहुंच लाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट टीवी की तरह काम करता है। आपके घर के दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हुए एक डिश जुड़ा हुआ होता है।

क्या सैटेलाइट इंटरनेट का एक अच्छा विकल्प है? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड महंगा है, सीमित है और उच्च लेटेंसी कैरी करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां हैं, चाहे कितनी भी दूर हों, आप सैटेलाइट आईएसपी के साथ ब्रॉडबैंड प्राप्त कर सकते हैं। यह कुछ फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं की तुलना में तेज है...इसका मतलब है कि सैटेलाइट एडीएसएल से तेज है और एंट्री लेवल की फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड सेवा से तेज हो सकता है जो लगभग **35** एमबी की औसत गति प्रदान करता है।

अमेरिका में सैटेलाइट इंटरनेट योजना की औसत लागत लगभग **100** डॉलर प्रति माह है। यह केबल या फाइबर योजना की औसत लागत से अधिक है, जो लगभग **50** डॉलर प्रति माह है। ■